"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012"



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2012—माघ 14, शक 1933

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2012

क्रमांक ई-1-2/2012/एक/2.—श्री डी. डी. सिंह, भा.प्र.से. (2000), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, लोक सेवा आयोग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2012

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री एस. के. जायसवाल, भा.प्र.से. (2000) प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पंजीयक, सहकारी संस्थायें के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ, मर्यादित, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री जायसवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् पंजीयक, सहकारी संस्थायें के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

2. श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003) प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री चंपावत द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक 200/75/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती नवनीता पाण्डेय, अधिवक्ता, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अवधि, जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा अवधि पर प्रथम अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक बिलासपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक 202/75/21-ब/छ.ग./2012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती नवनीता पाण्डेय, अधिवक्ता, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक बिलासपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक 204/75/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री छेदूसिंह ठाकुर, अधिवक्ता, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अवधि, जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा अवधि पर द्वितीय अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक बिलासपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक 206/75/21-ब/छ.ग./2012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री छेदूसिंह ठाकुर, अधिवक्ता, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए द्वितीय अतिरिक्त लोक अभियोजक बिलासपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक 208/75/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री छेदीलाल यादव, अधिवक्ता, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अवधि, जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा अवधि पर तृतीय अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक बिलासपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक 210/75/21-ब/छ.ग./2012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री छेदीलाल यादव, अधिवक्ता, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए तृतीय अतिरिक्त लोक अभियोजक बिलासपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक 212/75/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री नरेश सिंह, अधिवक्ता, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अवधि, जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा अवधि पर चतुर्थ अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक बिलासपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक 214/75/21-ब/छ.ग./2012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री नरेश सिंह, अधिवक्ता, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए चतुर्थ अतिरिक्त लोक अभियोजक बिलासपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक 216/75/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री लक्ष्मीकांत तिवारी, अधिवक्ता, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अवधि, जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा अवधि पर पंचम अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक बिलासपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक 218/75/21-ब/छ.ग./2012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री लक्ष्मीकांत तिवारी, अधिवक्ता, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए पंचम अतिरिक्त लोक अभियोजक बिलासपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक 220/75/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रमेश चंद्र पाठक, अधिवक्ता, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अवधि, जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा अवधि पर शासकीय अभिभाषक बिलासपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक 222/75/21-ब/छ.ग./2012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रमेश चंद्र पाठक, अधिवक्ता, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए लोक अभियोजक बिलासपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

संशोधन आदेश

क्रमांक एफ 1-27/2011/मबावि/50.—राज्य शासन, एतद्द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय, महिला एवं बाल विकास के अधीनस्थ नवगठित जिले बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालौद, कोण्डागांव, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर एवं सुकमा में विभागीय जिला कार्यालय खोलने तथा संचालन के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ नवीन जिलों के प्रशासनिक कार्यो के संपादन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करता है :—

क्र.	प्रस्तावित नोडल अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवगठित जिले का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अतुल दांडेकर, परियोजना अधिकारी.	एकीकृत बाल विकास परियोजना, भाटापारा, जिला रायपुर.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला बलौदाबाजार.
2.	श्री ए. के. बिसवाल, परियोजना अधिकारी.	एकीकृत बाल विकास परियोजना, मैनपुर, जिला रायपुर.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला गरियाबंद.
3.	श्री बी. डी. पटेल, प्रभारी कार्यक्रम समन्वयक, जिला कार्यालय, दुर्ग.	प्रभारी कार्यक्रम समन्वयक, जिला-कार्यालय, दुर्ग.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला बेमेतरा.
4.	श्री हेमराम राणा, परियोजना अधिकारी.	एकीकृत बाल विकास परियोजना, बालौद.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला बालोद.
5.	श्री अजय साहू, परियोजना अधिकारी.	एकीकृत बाल विकास परियोजना, कोण्डागांव.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला कोण्डागांव.
6.	श्रीमती रेणु प्रकाश, जिला महिला बाल विकास, अधिकारी.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, बिलासपुर.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला मुंगेली.
7.	श्री एम. एस. खलखो, परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना, भैयाथान (चन्द्रमेढ़ा) जि. सरगुजा.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला सूरजपुर.
8.	श्रीमती मक्सीमा तिर्की, परियोजना अधिकारी.	एकीकृत बाल विकास परियोजना रामचन्द्रपुर, जि. सरगुजा.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला बलरामपुर.
9.	श्रीमती पुष्पांजली दाटर, परियोजना अधिकारी.	एकीकृत बाल विकास परियोजना, सुकमा.	जिला महिला बाल अधिकारी, जिला सुकमा.

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-12-2011 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-6/2009/23.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती के तरीके तथा विस्तार को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2011 कहलायेंगे.

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना.**— ये नियम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, भर्ती का तरीका, आयु सीमा और अन्य विषय, अनुसूची के कॉलम (3) से (14) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होंगे.

4. **आरक्षण.**—

(1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण—सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(3) महिलाओं के लिए आरक्षण,—महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

5. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के कुटुम्ब के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों जो अन्य श्रेणियों से संबंधित हो, के लिये उपबंधित आरक्षण तथा शिथिलीकरण को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर बनाये गये नियमों अथवा जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी.

6. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, सचिव.

अनुसूची

सीधी भर्ती हेतु

स. क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	आयु सीमा न्यूनतम/अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो	पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी है	सीधी भर्ती के लिये विहित आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	पदोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में, पद जिनसे पदोन्नति की जानी है	विभागीय चयन या पदोन्नति समिति	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	जमादार	01	चतुर्थ श्रेणी	पे बैंड 4750-7440 ग्रेड पे रु. 1400	100% पदोन्नति द्वारा	-	-	-	-	नहीं	भृत्य से	(एक) संयुक्त संचालक (प्रशासन) - अध्यक्ष (दो) उप संचालक - सदस्य (तीन) अजा/अजजा/अपिव से नाम निर्देशित कोई समकक्ष अधिकारी. - सदस्य	
2.	भृत्य	67	चतुर्थ श्रेणी	पे बैंड 4750-7440 ग्रेड पे रु. 1300	100% सीधी भर्ती द्वारा	18 से 30 वर्ष (छ.ग. के निवासियों के लिए आयु 18 से 35 वर्ष)	5वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	जमादार	-	-		
3.	चौकीदार	02	—तदैव—	—तदैव—	100% सीधी भर्ती द्वारा (केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए)	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	-	-	-		

टीप :— (1) जमादार के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिए भृत्य के पद पर निरन्तर पांच वर्ष की सेवा अवधि होनी चाहिए.

(2) जमादार के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने हेतु भृत्य की संयोजित वरिष्ठता सूची बनायी जायेगी तथा ऐसी वरिष्ठता सूची में कर्मचारियों के नाम, उनके द्वारा दी गई स्थानापन्न/निरन्तर सेवा के आधार पर रखे जायेंगे.

Raipur, the 25th November 2011

No. F 1-6/2009/23.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules to regulate the method and scope of recruitment to the Class-IV service in the Chhattisgarh Economic and Statistics Services, namely :—

RULES

1. **Short Title and Commencement.—**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh Economic and Statistics Services Class-IV Service Recruitment Rules, 2011.

   (2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule-I.

3. **Classification and Scale of pay etc.—**The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, method of recruitment, age limit and other matters shall be in accordance with the provisions contained in column (3) to (14) of the Schedule.

4. **Reservation.—**
   (1) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes-Reservation for the Posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994).

   (2) Reservation in promotion shall be made for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rules, 2003.

   (3) Reservation for women-Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

5. **Saving.—**Nothing in these rules shall effect reservation and relaxation provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes for Ex-Servicemen, compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees who dies during service period, handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. **Repeal and Saving.—** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or any action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. C. MISHRA, Secretary.

SCHEDULE

For Direct Recruitment

S. No.	Name of the Post	Number of Post	Classi-fication	Scale of Pay	Method of recruitment whether by the direct recruitment or by promotion and percentage of vacancies to be filled by various methods	Age limit Minimum/ Maximum	Prescribed Educational Quali-fication	Period of Probation if any	Name of the Post in which promotion is to be done	Whether Prescribed age limit and educational quali-fication for the direct recruitment will be applicable in case of promotion	In case of recruitment by Promotion post from which Promotion to be made	Departmental Selection or promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Jamadar	01	Class-IV	Pay band 4750-7440 Grade pay Rs. 1400	100% by Promotion	-	-	-	-	No	from Peon	(i) Joint Director-Chairman (Administration) (ii) Deputy Director-Member (iii) Any equivalent-Member Officer nominated from SC/ST/OBC.	
2.	Peon	67	Class-IV	Pay band 4750-7440 Grade pay Rs. 1300	100% by direct Recruit-ment	18 to 30 years (Age for residents of Chhattisgarh 18 to 35 years)	5th Pass	2 Years	Jamadar	-	-		
3.	Chowkidar	02	—do—	—do—	100% by direct Recruitment (Only for Ex-servicemen)	—do—	—do—	—do—	-	-	-		

Note :— (1) For the promotion on the post of Jamadar the period of eligibility shall be five years continuous service on the post of peon.

(2) To consider for promotion on the post of Jamadar, combined seniority list of peon shall be made and the name of employees in such seniority list shall be placed on the basis of officiating continuous service rendered by them.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्रमांक 255 एफ 5-1/2011/छ:/धर्मस्व.—छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) की धारा 2 की उपधारा (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा 01 जनवरी से 29 फरवरी 2012 तक की अवधि को वर्ष 2012 के लिए मेला अवधि अधिसूचित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्रमांक 255 एफ 5-1/2011/छ:/धर्मस्व.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 255 एफ 5-1/2011/छ:/धर्मस्व, दिनांक 21-12-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, सचिव.

Raipur, the 21st December 2011

No. 255 F 5-1/2011/Chh/Dharmasva.—In exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section-2 of the Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006) the State Government hereby notifies the period from 01st January 2012 to 29 February 2012 as the Mela season for the year 2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOHAR PANDE, Secretary.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्रमांक 255 एफ 5-1/2011/छ:/धर्मस्व.—छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा श्री रमेश शर्मा, अपर कलेक्टर, जिला रायपुर को राजिम कुम्भ मेला 2012 हेतु मेला अधिकारी नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्रमांक 255 एफ 5-1/2011/छ:/धर्मस्व.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 255 एफ 5-1/2011/छ:/धर्मस्व, दिनांक 21-12-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, सचिव.

Raipur, the 21st December 2011

No. 255 F 5-1/2011/Chh/Dharmasva.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section-3 of the Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006) the State Government hereby appoint Shri Ramesh Sharma, Additional Collector Raipur as Mela Officer for the Rajim Kumbh Mela-2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOHAR PANDE, Secretary.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्रमांक 255 एफ 5-1/2011/छः/धर्मस्व.—छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा राजिम कुंभ मेला 2012 के लिए निम्नानुसार सदस्यों को सम्मिलित कर स्थानीय समिति का गठन करती है.

1.	श्री तपेश झा, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल	-	अध्यक्ष
2.	श्री नरेन्द्र शुक्ल, संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व	-	सदस्य
3.	श्री गिरीश बिस्सा, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी संस्कृति एवं पर्यटन	-	सदस्य सचिव
4.	श्री एस. बी. सतपाल, उपसंचालक संस्कृति एवं पुरातत्व	-	सदस्य
5.	श्री रंग पाठक, लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल	-	सदस्य
6.	श्री प्रताप पारेख, वरिष्ठ मार्गदर्शक, संस्कृति विभाग	-	सदस्य
7.	श्री राकेश तिवारी, स्वागतकर्ता, संस्कृति विभाग	-	सदस्य
8.	श्री आशीष वर्मा, पर्यटन अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल	-	सदस्य
9.	श्री युगल तिवारी, अनुवादक, संस्कृति विभाग	-	सदस्य
10.	श्री पी. के. पाण्डेय, कलाकार, संस्कृति विभाग	-	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्रमांक 255 एफ 5-1/2011/छः/धर्मस्व.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 255 एफ 5-1/2011/छः/धर्मस्व, दिनांक 21-12-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, सचिव.

Raipur, the 21st December 2011

No. 255 F 5-1/2011/Chh/Dharmasva.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section-3 of the Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006) the State Government hereby appoint Local Committee for Rajim Kumbh Mela for the year 2012 consisting of :—

1.	Shri Tapesh Jha, M.D. Chhattisgarh Tourism Board	—	Chairman
2.	Shri Narendra Shukla, Director of Culture & Archaeology	—	Member
3.	Shri Girish Bissa, O.S.D. Culture & Tourism Department	—	Member Secretary
4.	Shri S. B. Satpal, Deputy Director, Culture Department	—	Member
5.	Shri Rang Pathak, Account Officer, Chhattisgarh Tourism Board	—	Member

6.	Shri Pratap Parakh, Senior guide, Culture Department	—	Member
7.	Shri Rakesh Tiwari, Swagatkarta, Culture Department	—	Member
8.	Shri Ashish Verma, Tourist Officer	—	Member
9.	Shri Yugal Tiwari, Translator, Culture Department	—	Member
10.	Shri P. K. Pandey, Artist, Culture Department	—	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOHAR PANDE, Secretary.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्रमांक 255 एफ 5-1/2011/छ:/धर्मस्व.—छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा डॉ. गजेन्द्र कुमार सक्सेना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को राजिम कुम्भ मेला 2012 हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्रमांक 255 एफ 5-1/2011/छ:/धर्मस्व.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 255 एफ 5-1/2011/छ:/धर्मस्व, दिनांक 21-12-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, सचिव.

Raipur, the 21st December 2011

No. 255 F 5-1/2011/Chh/Dharmasva.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section-3 of the Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006) the State Government hereby appoint Dr. Gajendra Kumar Saxena, Chief Medical Officer & Health Officer Raipur as Chief Health Officer for Rajim Kumbh Mela-2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOHAR PANDE, Secretary.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्रमांक 255 एफ 5-1/2011/छ:/धर्मस्व.—छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा राजिम कुंभ मेला 2012 के लिए निम्नानुसार सदस्यों को सम्मिलित कर केन्द्रीय समिति का गठन करती है :—

1.	मान. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	—	अध्यक्ष
2.	मान. श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	—	कार्यकारी अध्यक्ष
3.	मान. श्री चंद्रशेखर साहू, मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं श्रम विभाग	—	उपाध्यक्ष
4.	मान. श्री रमेश बैस, संसद सदस्य	—	विशिष्ट सदस्य

5.	मान. श्री चंदू लाल साहू, संसद सदस्य	—	विशिष्ट सदस्य
6.	मान. राज महन्त श्री रामसुंदर दास जी महाराज, विधायक एवं अध्यक्ष श्री राजीव लोचन ट्रस्ट कमेटी राजिम.	—	विशिष्ट सदस्य
7.	मान. श्री अमितेश शुक्ला, विधायक राजिम	—	विशिष्ट सदस्य
8.	मान. श्री लेखराम साहू, विधायक कुरूद	—	विशिष्ट सदस्य
9.	अग्नि पीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर ब्रम्हऋषि रामकृष्णानंद जी, अमरकंटक	—	विशिष्ट सदस्य
10.	संत श्री डॉ. प्रणव पण्डया प्रमुख गायत्री पीठ, हरिद्वार	—	विशिष्ट सदस्य
11.	संत श्री रमेश भाई ओझा, "भाईश्री" अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, पोरबंदर	—	विशिष्ट सदस्य
12.	आचार्य महामण्डलेश्वर श्री संविदानंद सरस्वती जी, नासिक	—	विशिष्ट सदस्य
13.	मान. पीठाधीश्वर श्री द्वारकेश जी महाराज, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी प्रकाट्य बैठक चम्पारण्य	—	विशिष्ट सदस्य
14.	महामण्डलेश्वर श्री वियोगानंद सरस्वती जी महाराज, ऋषिकेश, गंगोत्री	—	विशिष्ट सदस्य
15.	महामण्डलेश्वर श्री विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, वेस्ट मुम्बई	—	विशिष्ट सदस्य
16.	महामण्डलेश्वर अनंतश्री विभूषित कल्याण बाबा, अमरकंटक	—	विशिष्ट सदस्य
17.	योगीराज ब्रम्हर्षि बर्फानी दादाजी महामण्डलेश्वर लक्ष्मण दास जी बालयोगी, बर्फानी सिद्ध योग आश्रम, त्रिवेणी संगम अमरकंटक.	—	विशिष्ट सदस्य
18.	महामण्डलेश्वर स्वामी श्री प्रेमानंद गिरी जी महाराज, घाटकोपर, मुम्बई	—	विशिष्ट सदस्य
19.	महामण्डलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंदजी महाराज, सांई प्रज्ञाधाम साकेत, नई दिल्ली	—	विशिष्ट सदस्य
20.	योगीराज महंत डॉ. बिन्दू जी महाराज, निर्वाण अखाड़ा, हैदराबाद	—	विशिष्ट सदस्य
21.	महंत श्री जागेराम शास्त्री जी, हरिद्वार	—	विशिष्ट सदस्य
22.	महंत रामजी दास, संतोषी अखाड़ा पंच रामानंद, चित्रकूट धाम	—	विशिष्ट सदस्य
23.	महंत ओंकार दासजी, अखिल भारतीय श्रीपंच निर्मोही अनी अखाड़ा, चित्रकूट	—	विशिष्ट सदस्य
24.	महंत रामसुंदर दासजी, श्रीराम महल मंदिर रामानंदाचार्य मार्ग, विरमगांव, अहमदाबाद	—	विशिष्ट सदस्य
25.	श्री बालयोगेश्वर, श्री राम बालकदास जी, महात्यागी, डोंडी लोहारा	—	विशिष्ट सदस्य
26.	संत श्री पं. विजय शंकर मेहता, प्रवचनकर्ता, उज्जैन	—	विशिष्ट सदस्य
27.	संत श्री गोवर्धन शरण दास जी महाराज, सिरकट्टी आश्रम पाण्डुका	—	विशिष्ट सदस्य
28.	संत कवि श्री पवन दीवान जी, राजिम	—	विशिष्ट सदस्य
29.	महंत स्वामी अनुसुईयादास जी महाराज, श्री उदासीन परामार्थ आश्रम, कपिल धारा रोड, तीर्थ अमरक, पो. अमरकंटक, जिला-अनूपपुर, (म.प्र.)	—	विशिष्ट सदस्य
30.	संत श्री विजेन्द्र दास जी साहेब कबीर मंदिर, गोबरा नवापारा	—	विशिष्ट सदस्य
31.	संत श्री असंग जी साहेब कबीर पंथी, इलाहाबाद	—	विशिष्ट सदस्य
32.	दण्डी स्वामी श्री सच्चिद्दानंद जी महाराज, बिलासपुर	—	विशिष्ट सदस्य
33.	संत श्री युधिष्ठिर लाल जी महाराज, शद्दाणी दरबार, माना रोड, रायपुर	—	विशिष्ट सदस्य
34.	अध्यक्ष, राजिम भक्तिन समिति, राजिम	—	विशिष्ट सदस्य
35.	श्री अवधेश सिंह ठाकुर, पुजारी, श्री राजीव लोचन मंदिर, राजिम	—	विशिष्ट सदस्य
36.	महंत हरकेवल दास जी, अम्बिकापुर	—	विशिष्ट सदस्य
37.	पं. राजेन्द्र प्रसाद शास्त्री, पुराणेतिहासाचार्य ज्योतेश्वर परमहंसी गंगा आश्रम गोटेगांव, जिला-नरसिंहपुर, (म.प्र.)	—	विशिष्ट सदस्य
38.	ब्रम्हचारी सुरेशानंद शंकराचार्य आश्रम, बोरियाकला रायपुर	—	विशिष्ट सदस्य
39.	पं. श्री झम्मन शास्त्री जी महाराज, भाटापारा	—	विशिष्ट सदस्य
40.	स्वामी सिद्धेश्वरानंद महाराज, कुलेश्वर मंदिर, राजिम	—	विशिष्ट सदस्य
41.	माननीया श्रीमती लक्ष्मी वर्मा अध्यक्ष जिला पंचायत, रायपुर	—	विशिष्ट सदस्य
42.	मान. श्री अजय चंद्राकर, अध्यक्ष छ.ग. राज्य वित्त आयोग	—	विशिष्ट सदस्य
43.	मान. श्री अशोक बजाज, अध्यक्ष वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन	—	विशिष्ट सदस्य
44.	मान. डॉ. सलीम राज, अध्यक्ष हज कमेटी छत्तीसगढ़	—	विशिष्ट सदस्य
45.	मान. श्री मोहन एन्टी, अध्यक्ष छ.ग. भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	—	विशिष्ट सदस्य
46.	मान. श्री कृष्णा राय, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, रायपुर	—	विशिष्ट सदस्य
47.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	—	विशिष्ट सदस्य
48.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग	—	विशिष्ट सदस्य सचिव

49.	संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार	—	विशिष्ट सदस्य
50.	विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग	—	विशिष्ट सदस्य
51.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, रायपुर	—	विशिष्ट सदस्य
52.	संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर	—	विशिष्ट सदस्य
53.	मान. श्री धनेन्द्र साहू, पूर्व मंत्री छ.ग. शासन, अभनपुर	—	विशिष्ट सदस्य
54.	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, गोबरा नवापारा	—	विशिष्ट सदस्य
55.	अध्यक्ष, नगर पंचायत राजिम	—	विशिष्ट सदस्य
56.	अध्यक्ष, जनपद पंचायत फिंगेश्वर	—	विशिष्ट सदस्य
57.	अध्यक्ष जनपद पंचायत, मगरलोड़	—	विशिष्ट सदस्य
58.	अध्यक्ष, जनपद पंचायत, अभनपुर	—	विशिष्ट सदस्य
59.	श्री अरूण कुमार शर्मा, पुरातत्वविद्, सिरपुर	—	विशिष्ट सदस्य
60.	श्री भागवत हरित, फिंगेश्वर	—	विशिष्ट सदस्य
61.	श्री विष्णु सिंह ठाकुर, रायपुर	—	विशिष्ट सदस्य
62.	डॉ. रामकुमार साहू, राजिम	—	विशिष्ट सदस्य
63.	श्री कृष्ण दास अड़िया, चम्पारण्य ट्रस्टी	—	विशिष्ट सदस्य
64.	श्री दीपक शर्मा, अध्यक्ष, इतिहास संकलन समिति	—	विशिष्ट सदस्य
65.	श्री रमेन्द्र नाथ मिश्रा, अध्यक्ष बख्शी सृजनपीठ	—	विशिष्ट सदस्य
66.	श्री बबन प्रसाद मिश्र, वरिष्ठ साहित्यकार	—	विशिष्ट सदस्य
67.	श्री प्रभुलाल मिश्र, वरिष्ठ पुरातत्वविद्	—	विशिष्ट सदस्य
68.	श्री बसंत दुबे, बुड़ेनी, राजिम	—	विशिष्ट सदस्य
69.	श्री संतोष उपाध्याय, सदस्य राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, राजिम	—	विशिष्ट सदस्य
70.	श्री विजय गोयल, गोबरा नवापारा	—	विशिष्ट सदस्य
71.	श्रीमती रेखा सोनकर, राजिम	—	विशिष्ट सदस्य
72.	श्री अनूप गर्ग, इंदौर	—	विशिष्ट सदस्य
73.	श्री रमेश पहाड़िया, नवापारा	—	विशिष्ट सदस्य
74.	श्री श्याम किशोर शर्मा, नवापारा	—	विशिष्ट सदस्य
75.	श्री रमेश चौधरी, नवापारा	—	विशिष्ट सदस्य
76.	श्री ईश्वर ध्रुव, अभनपुर	—	सदस्य
77.	श्री हिरदा राम साहू, बेलर, अभनपुर	—	सदस्य
78.	श्री सुधीर दुबे, रायपुर	—	सदस्य
79.	श्री विशाल राही, श्री राजीव लोचन मंदिर के पास, राजिम	—	सदस्य
80.	श्री पूर्णानंद सोनी, राजिम	—	सदस्य
81.	श्रीमती साधना सौरज, गोबरा नवापारा	—	सदस्य
82.	पंडित ब्रम्हदत्त शर्मा, "शास्त्री" सचिव, श्रीराजीव लोचन कुंभ सेवा समिति	—	सदस्य
83.	पं. योगेश्वर उपाध्याय, संस्कृत विद्यापीठ राजिम	—	सदस्य
84.	श्री अशोक गांधी, नवापारा	—	सदस्य
85.	श्री जितेन्द्र सोनकर, राजिम	—	सदस्य
86.	श्री देवराज सांखला, नवापारा	—	सदस्य
87.	श्री गिरधारी अग्रवाल, नवापारा	—	सदस्य
88.	श्री आशीष राव शिंदे, राजिम	—	सदस्य
89.	श्री भागचंद बंगानी, नवापारा	—	सदस्य
90.	श्री अनिल जगवानी, नवापारा	—	सदस्य
91.	श्री मनोहर त्रिवेदी, चम्पारण्य	—	सदस्य
92.	श्री होरी लाल साहू, नवापारा	—	सदस्य
93.	श्री राघोबा महाड़िक, राजिम	—	सदस्य
94.	श्री लेखा राम महोबिया, राजिम	—	सदस्य
95.	श्री मो. बिलाल अहमद नवापारा	—	सदस्य
96.	श्री भुवनेश्वर साहू, बलरामपुर, फिंगेश्वर	—	सदस्य

97.	सुश्री रेखा बंजारी, अध्यक्ष, महिला मोर्चा	—	सदस्य
98.	श्री राजू सुंदरानी, नवापारा	—	सदस्य
99.	श्री मनीष चौधरी, नवापारा	—	सदस्य
100.	श्री ताराचंद मेघानी, राजिम	—	सदस्य
101.	श्री रामकुमार गोस्वामी, राजिम	—	सदस्य
102.	श्री व्यास नारायण साहू, हसदा	—	सदस्य
103.	श्री बबला दम्मानी, नवापारा	—	सदस्य
104.	श्री दयालु राम गाडा, नवापारा	—	सदस्य
105.	श्रीमती रूखमणी साहू, नवापारा	—	सदस्य
106.	श्री पारसमल गोलछा, नवापारा	—	सदस्य
107	श्री चंदु कंसारी, नवापारा	—	सदस्य
108.	श्री प्रसन्न शर्मा, नवापारा	—	सदस्य
109.	डॉ. फूलजी साहू, नवापारा	—	सदस्य
110.	श्रीमती सीमा तिवारी, आनंद वाहिनी, भिलाई	—	सदस्य
111.	श्री शत्रुघन साहू, राकाडीह	—	सदस्य
112.	श्री भीखम सेन, मगरलोड	—	सदस्य
113.	श्री गफ्फू मेमन, गरियाबंद	—	सदस्य
114.	श्री मुरली सिन्हा, गरियाबंद	—	सदस्य
115.	श्री आई.पी.मिश्रा, नेहरू नगर भिलाई शंकराचार्य कालेज	—	सदस्य
116.	श्री आकाश विग, रायपुर	—	सदस्य
117.	श्री श्याम अग्रवाल, राजिम	—	सदस्य
118.	श्री सुरेन्द्र सिंह जी, प्रान्त प्रमुख धर्म जागरण जागृति मंडल, रायपुर	—	सदस्य
119.	श्री शिवलाल जी, कार्यालय प्रमुख जागृति मंडल रायपुर	—	सदस्य
120.	श्री अशोक गंगवाल, गोबरा नवापारा	—	सदस्य
121.	श्री युधिष्ठिर चंद्राकर, अध्यक्ष श्रीराजीव लोचन कुंभ सेवा समिति	—	सदस्य
122.	श्रीमती धनवंती साहू, नवापारा	—	सदस्य
123.	सहायक परिवहन आयुक्त, रायपुर	—	सदस्य
124.	कलेक्टर, रायपुर/धमतरी/महासमुंद/ओ.एस.डी. गरियाबंद	—	सदस्य
125.	पुलिस अधीक्षक, रायपुर/धमतरी/महासमुंद/एस.डी.ओ.पी. गरियाबंद	—	सदस्य
126.	श्री महादेव कावरे, एन.आर.डी.ए. रायपुर	—	सदस्य
127.	श्री रमेश शर्मा, अपर कलेक्टर, रायपुर	—	सदस्य
128.	खाद्य नियंत्रक, जिला-रायपुर/खाद्य अधिकारी, धमतरी	—	सदस्य
129.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर/धमतरी/गरियाबंद	—	सदस्य
130.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर/धमतरी	—	सदस्य
131.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, फिंगेश्वर/मगरलोड	—	सदस्य
132.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, गोबरा-नवापारा, नगर पंचायत, राजिम	—	सदस्य
133.	कार्यपालन यंत्री, सेतु/लोक निर्माण विभाग, संभाग-3 रायपुर/धमतरी/गरियाबंद	—	सदस्य
134.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायपुर/गरियाबंद	—	सदस्य
135.	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, राजिम	—	सदस्य
136.	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर	—	सदस्य
137.	डी.ई. विद्युत मंडल, O & M. सी.एस.सी.डी.सी.एल. नवापारा राजिम/धमतरी	—	सदस्य
138.	वनसंरक्षक, वन विभाग रायपुर वृत्त रायपुर	—	सदस्य
139.	वनमंडलाधिकारी ईस्ट डिविजन रायपुर/धमतरी	—	सदस्य
140.	अनुविभागीय अधिकारी वन विभाग राजिम/धमतरी	—	सदस्य
141.	श्री गिरीश बिस्सा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोहर पाण्डे, सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्रमांक 255 एफ 5-1/2011/छः/धर्मस्व.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 255 एफ 5-1/2011/छः/धर्मस्व, दिनांक 21-12-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, सचिव.

Raipur, the 21st December 2011

No. 255 F 5-1/2011/Chh/Dharmasva.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section-3 of the Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006) the State Government hereby constitute the central committee for Rajim Kumbh Mela years 2012 consisting of :—

1.	Hon'ble Dr. Raman Singh, Chief Minister, Govt. of Chhattisgarh	—	President
2.	Hon'ble Shri Brijmohan Agrawal, Minister, Tourism, Culture, Endowment & Religious.	—	Working President
3.	Hon'ble Shri Chandrashekhar Sahu, Minister, Agriculture, Vaterinary and Labour.	—	Vice President
4.	Hon'ble Shri Ramesh Bais, Member of Parliament	—	Distinguished Member
5.	Hon'ble Shri Chandu Lal Sahu, Member of Parliament	—	Distinguished Member
6.	Hon'ble Rajmahant Shri Ramsundar Das Ji Maharaj, MLA & President-Rajiv LochanTrust Commettee Rajim.	—	Distinguished Member
7.	Hon'ble Shri Amitesh Shukla, M.L.A. Rajim	—	Distinguished Member
8.	Hon'ble Shri Lekhram Sahu, M.L.A. Kurud	—	Distinguished Member
9.	Agni Pithadhishwar Acharya Mahamandleshwar Bramaha Raishi Ramkrishananand, Amarkantak.	—	Distinguished Member
10.	Sant Shri Dr. Pranav Pandya Pramukh Gayatripeeth, Haridwar	—	Distinguished Member
11.	Sant Shri Ramesh Bhai Ojha, "Bhai Shri" Anterrastriy Kathavachak, Porbander.	—	Distinguished Member
12.	Acharya Mahamandleshwar Shri Sanvidanand Sarswati Ji, Nasik	—	Distinguished Member
13.	Hon'ble Pithadhiswara Shri Dwarkesh Ji Maharaj, Mahaprabhu Vallabhacharya Ji Prakatya Baithak Champaranya.	—	Distinguished Member
14.	Mahamandleshwar Viyoganand Sarswati Ji Maharaj, Rishikesh, Gangotri.	—	Distinguished Member
15.	Mahamandleshwar Shri Vishveshwaranand Giri Ji Maharaj, West Mumbai.	—	Distinguished Member
16.	Mahamandleshwar Anatshri Vibhusit Kalyan Baba, Amarkantak	—	Distinguished Member
17.	Yogiraj Maharshi Barfani Dadaji Mahamandleshwar Laxman Das Ji Balyogi, Barfani Shiddh Yog Ashram, Triveni Sangan, Amarkantak.	—	Distinguished Member
18.	Mahamandleshwar Swami Premanand Giri Ji Maharaj, Ghatkopar, Mumbai.	—	Distinguished Member
19.	Mahamandleshwar Swami Pragyanand Ji Maharaj, Sai Pragya Dham, Saket New Delhi.	—	Distinguished Member
20.	Yogiraj Mahant Dr. Binduji Maharaj Nirvan Akhada, Hydrabad	—	Distinguished Member
21.	Mahant Shri Jageram Shastri Ji, Haridwar	—	Distinguished Member
22.	Mahant Ramji Das, Santoshi Akhada, Panch Ramanand, Chitrakut Dham.	—	Distinguished Member
23.	Mahant Omkar Das Ji Akhil Bhartiy Shri Panch Nirmohi Ani Akhada, Chitrakut.	—	Distinguished Member
24.	Mahant Ramsundardas Ji, Shri Ram Mahal Mandir Ramanadcharya Marg Viram Gaon, Ahmadabad.	—	Distinguished Member
25.	Shri Balyogeshwar, Shri Rambalak Das Ji, Mahatyagi, Dondi Lohara	—	Distinguished Member
26.	Sant Shri Pant, Vijay Shankar Mehta, Pravachankarta, Ujjain	—	Distinguished Member
27.	Sant Shri Govardhan Sharan Dasji Maharaj, Sirkatti Aashram, Panduka	—	Distinguished Member

28.	Sant Kavi Shri Pavan Diwan Ji. Rajim	—	Distinguished Member
29.	Mahant Swami Anusuiyadas Ji Maharaj. Shri Udasin Parmarth Ashram. Kapil Dhara Road. Thirth Amark, Post. Amarkantak, Distt.-Anooppur (M.P.)	—	Distinguished Member
30.	Sant Shri Vijendra das Ji Saheb. Kabir Mandir. Gobra Nawapara	—	Distinguished Member
31.	Sant Shri Asang Ji Saheb Kabir Panthi. Ilahabad	—	Distinguished Member
32.	Dandi Swami Shri Sachidanand Ji Maharaj. Bilaspur	—	Distinguished Member
33.	Sant Shri Yudhishthir Lal Ji Maharaj. Saddani Darbar. Mana road. Raipur.	—	Distinguished Member
34.	President Rajim Bhaktin Samiti. Rajim	—	Distinguished Member
35.	Shri Avdhesh Singh Thakur. Pujari. Shri Rajiv Lochan Mandir. Rajim	—	Distinguished Member
36.	Mahant Harkeval Das Ji, Ambikapur	—	Distinguished Member
37	Pt. Rajendra Prasad Shashtri, Puranetihasacharya Jyoteshwar Paramhanshi Ganga Ashram Gotegaon, Distt. Narsinghpur (M.P.)	—	Distinguished Member
38	Brahmachari Sureshanand. Shankracharya Ashram. Boriyakala. Raipur	—	Distinguished Member
39.	Pt. Shri Jhamman Shastri Ji. Maharaj. Bhatapara	—	Distinguished Member
40.	Swami Shiddheshwaranand Ji, Maharaj. Kuleshwar Mandir. Rajim	—	Distinguished Member
41.	Hon'ble Shrimati Laxmi Varma President Jila Panchayat, Raipur	—	Distinguished Member
42.	Hon'ble Shri Ajay Chandrakar, State Finence Commission	—	Distinguished Member
43.	Hon'ble Shri Ashok Bajaj, President, Ware Housing Corporation. Raipur.	—	Distinguished Member
44.	Hon'ble Dr. Salim Raj, President, Hazz Kameti C.G.	—	Distinguished Member
45.	Hon'ble Shri Mohan Anti, President, C.G. labour Welfair Board	—	Distinguished Member
46.	Hon'ble Shri Krishna Rai. President Chhattisgarh Tourism Board, Raipur.	—	Distinguished Member
47.	Chief Secretary. Govt. of Chhattisgarh	—	Distinguished Member
48.	Secretary. Tourism. Culture & Religious Trusts & Endowment Govt. of Chhattisgarh.	—	Distinguished Member Secretary.
49.	Joint Secretary. Tourism Govt. of India	—	Distinguished Member
50.	Special Secretary, Tourism, & Culture Department	—	Distinguished Member
51.	M.D. Chhattisgarh Tourism Board. Raipur	—	Distinguished Member
52.	Director, Culture & Archaeology. Govt. of Chhattisgarh	—	Distinguished Member
53.	Hon'ble Shri Dhanendra Sahu. Ex. Minister C.G. Govt.. Abhanpur	—	Distinguished Member
54.	President. Municipal Corporation. Gobra Nawapara	—	Distinguished Member
55.	President. Nagar Panchayat. Rajim	—	Distinguished Member
56.	President. Janpat Panchayat. Fingeshwar	—	Distinguished Member
57.	President. Janpat Panchayat. Magarload	—	Distinguished Member
58.	President. Janpat Panchayat. Abhanpur	—	Distinguished Member
59.	Shri Arun Kumar Sharma. Archaeologist Sirpur	—	Distinguished Member
60.	Shri Bhagwat Harit. Fingeshwar	—	Distinguished Member
61.	Shri Vishnu Singh Thakur, Raipur	—	Distinguished Member
62.	Dr. Ramkumar Sahu. Rajim	—	Distinguished Member
63.	Shri Krishnadas Arhiya, Champaranya Trusty	—	Distinguished Member
64.	Shri Deepak Sharma. President. History collection committee	—	Distinguished Member
65.	Shri Ramendra Nath Mishra. President Bakshi Srijan Peeth	—	Distinguished Member
66.	Shri Baban Prasad Mishra. Senior Sahityakar	—	Distinguished Member
67.	Shri Prabhulal Mishra, Senior Archaeologist	—	Distinguished Member
68.	Shri Basant Dubey. Budeni. Rajim	—	Distinguished Member
69.	Shri Santosh Upadhyay. Member Rajya Sakchharta Mission Pradhikaran. Rajim.	—	Distinguished Member
70.	Shri Vijay Goyal. Gobra Nawapara	—	Distinguished Member
71.	Smt. Rekha Sonker. Ex. President Nagar Panchayat. Rajim	—	Distinguished Member
72.	Shri Anoop Garg. Indore	—	Distinguished Member
73.	Shri Ramesh Pahadiya. Nawapara	—	Distinguished Member
74.	Shri Shyam Kishor Sharma. Nawapara	—	Distinguished Member
75.	Shri Ramesh Choudhari. Nawapara	—	Distinguished Member

76.	Shri Ishwar Dhruv, Abhanpur	—	Member
77.	Shri Hirda Ram Sahu, Belar	—	Member
78.	Shri Sudhir Dubey, Raipur	—	Member
79.	Shri Vishal Rahi, Near Shri Rajiv Lochan Mandir, Rajim	—	Member
80.	Shri Purnanand Soni, Rajim	—	Member
81.	Smt. Sadhana Souraj, Gobra Nawapara	—	Member
82.	Pt. Bramhadutt Sharma "Shastri" Secretary Shri Rajiv Lochan Kumbh Seva Samiti	—	Member
83.	Shri Pandit Yogeshwar Upadhyay, Sanskrit Vidyapeeth, Rajim	—	Member
84.	Shri Ashok Gandhi, Nawapara	—	Member
85.	Shri Jitendra Sonkar, Rajim	—	Member
86.	Shri Devraj Shankhala, Nawapara	—	Member
87.	Shri Girdhari Agrawal, Nawapara	—	Member
88.	Shri Ashish Rao Shinde, Rajim	—	Member
89.	Shri Bhagchand Bangani, Nawapara	—	Member
90.	Shri Anil Jagwani, Nawapara	—	Member
91.	Shri Manohar Trivedi, Champaranya	—	Member
92.	Shri Hori Lal Sahu Nawapara	—	Member
93.	Shri Raghoba Mahadik, Rajim	—	Member
94.	Shri Lekha Ram Mahobiya, Rajim	—	Member
95.	Shri Mo. Bilal Ahmad, Nawapara	—	Member
96.	Shri Bhuvneshwar Sahu, Balrampur, Fingeshwar	—	Member
97.	Mrs. Rekha Banjari, Nawapara	—	Member
98.	Shri Raju Sundrani, Nawapara	—	Member
99.	Shri Manish Choudhari, Nawapara	—	Member
100.	Shri Tarachand Meghani, Rajim	—	Member
101.	Shri Ramkumar Goswami, Rajim	—	Member
102.	Shri Vyasnarayan Sahu, Hasda	—	Member
103.	Shri Babla Dammani, Nawapara	—	Member
104.	Shri Dayalu Ram Garha, Nawapara	—	Member
105.	Smt. Rukhamani Sahu, Nawapara	—	Member
106.	Shri Parasmal Golchha, Nawapara	—	Member
107.	Shri Chandu Lal Kansari, Nawapara	—	Member
108.	Shri Prasanna Sharma, Nawapara	—	Member
109.	Dr. Phoolji Sahu, Nawapara	—	Member
110.	Smt. Sima Tiwari, Anand Vahini, Bhilai	—	Member
111.	Shri Satrughan Sahu, Rakadih	—	Member
112.	Shri Bhikham Sen, Magarlod	—	Member
113.	Shri Gaffu Memon, Gariyaband	—	Member
114.	Shri Murli Sinha, Gariyaband	—	Member
115.	Shri I. P. Mishra, Nehru Nagar Bhilai Shankrachaya College	—	Member
116.	Shri Akash Vig, Raipur	—	Member
117.	Shri Shyam Agrawal, Rajim	—	Member
118.	Shri Surendra Singh Ji, Prant Pramukh Dharma Jagran Jagriti Mandal, Raipur	—	Member
119.	Shri Shivlal Ji, Office Pramukh Jagriti Mandel, Raipur	—	Member
120.	Shri Ashok Gangwal, Gobra Nawapara	—	Member
121.	Shri Yudhisthir Chandrakar, President Shri Rajiv Lochan Kumbh Seva Samiti Gobra Nawapara.	—	Member
122.	Smt. Dhanvanti Sahu, Nawapara	—	Member
123.	Asst. Commissioner, Transport Raipur	—	Member
124.	Collector, Raipur, Dhamtari, Mahasamund, O.S.D. Gariyaband	—	Member
125.	Superintendent of Police, Raipur, Dhamtari, Mahasamund, S.D.O.P. Gariyaband	—	Member
126.	Shri Mahadev Kanware, N.R.D.A. Raipur	—	Member
127.	Shri Ramesh Sharma, Additional Collector, Raipur	—	Member
128.	Food Cotroler, Dist.-Raipur/Food Officer, Dhamtari	—	Member
129.	S.D.M. Raipur, Dhamtari, Gariyaband	—	Member

130.	Chief Medical Officer, Raipur, Dhamtari	—	Member
131.	Chief Executive Officer, Janpat Panchayat Fingeshwar, Magarlod	—	Member
132.	Chief Exe. Officer, Municipal Corporation, Gobra Nawapara, Nagar Panchayat Rajim	—	Member
133.	Executive Engineer, Brig/P.W.D. Raipur/Dhamtari/Gariyaband	—	Member
134.	Executive Engineer, Irrigation, Raipur, Dhamtari, Gariyaband	—	Member
135.	Executive Engineer, Rural Engineering Service Department, Rajim	—	Member
136.	Executive Engineer, P.H.E. Department, Raipur	—	Member
137.	D.E. Electricity Board, O & M, C.S.C.D.C.L. Nawapara Rajim, Dhamtari	—	Member
138.	Conservator Forest, Forest Department, Raipur	—	Member
139.	D.F.O. East Division Raipur, Dhamtari	—	Member
140.	S.D.O. Forest Department, Rajim, Dhamtari	—	Member
141.	Shri Girish Bissa, O.S.D. Tourism & Culture Department	—	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOHAR PANDE, Secretary.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2011

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक/5173/एफ-8-4/2011-12/रबी/14-2.—विभागीय अधिसूचना क्रमांक/4027/एफ-08-04/2011-12/रबी/14-2, रायपुर दिनांक 19-10-2011 को संशोधित करते हुए एतद्द्वारा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 13011/15/99/Credit-II दिनांक 16 जुलाई, 1999 तथा प्रशासनिक अनुमोदन क्रमांक 13011/04/2004/Credit-II दिनांक 10 मार्च, 2011 का संदर्भ लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन सूचित करता है कि रबी 2011-12 मौसम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सम्पूर्ण प्रदेश में कार्यान्वित की जावेगी.

2. **निम्न फसलों को अधिसूचित किया गया है :—**
1. गेहूं सिंचित 2. गेहूं असिंचित 3. चना 4. राई-सरसों 5. अलसी 6. आलू

3. **अधिसूचित क्षेत्र :**—सभी फसलों के लिये अधिसूचित क्षेत्र तहसील होगा. सभी फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों के जिलों के नाम एवं तहसील परिशिष्ट-1 में दर्शित है.

4. इस योजना में ऋणी किसान, अऋणी किसान, बटाईदार और काश्तकार कृषक भी भाग ले सकते हैं.

5. ऋणी किसान अनिवार्य रूप से और अऋणी किसान ऐच्छिक रूप से इस योजना में भाग ले सकते हैं.

6. 1 अक्टूबर, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक अधिसूचित फसलों के लिए ली गई ऋण राशि रबी 2011-12 मौसम के लिए कवर किया जायेगा.

7. अऋणी किसान और लिये गये ऋण राशि से उच्च बीमा चाहने वाले ऋणी किसान के लिये बीमा करने की अंतिम तिथि 31-12-2011 होगी.

8. जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं व्यवसायिक बैंक से अधिसूचित फसलों की ऋण राशि का बीमा इस मौसम में किया जायेगा.

9. संबंधित बैंकों का नोडल शाखा नीचे दिये गये समय सारणी के अनुसार घोषणा-पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि., क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे.

समय सारणी

माह के वितरित ऋण	घोषणा-पत्र स्वीकार किये जाने की सीमा
अक्टूबर, 2011	30 नवम्बर, 2011
नवम्बर, 2011	31 दिसम्बर, 2011
दिसम्बर, 2011	31 जनवरी, 2012
जनवरी, 2012	28 फरवरी, 2012
फरवरी, 2012	31 मार्च, 2012
मार्च, 2012	30 अप्रैल, 2012 (मौसम की अंतिम तिथि)

10. शासन द्वारा उपज के आंकड़े भेजने की अंतिम तिथि 31-07-2012 होगी.

11. ऋणी किसान के लिए बीमित राशि लिये गये ऋण राशि तक व इसके अतिरिक्त निर्धारित उपज के मूल्य तक और इससे अधिक 150 प्रतिशत औसत उपज के मूल्य तक होंगे. लिये गये ऋण राशि और निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा और उससे अधिक राशि के लिए वास्तविक दर लागू होगा. अऋणी किसान के लिए बीमित राशि निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा एवं उससे ज्यादा 150 प्रतिशत औसत उपज के मूल्य तक वास्तविक दर लागू होगा.

12. **प्रीमियम में अनुदान :—** ऋणी एवं अऋणी लघु एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम में 10 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है और लघु एवं सीमांत किसानों के लिये समस्त बैंक के नोडल कार्यालय को प्रीमियम की 90 प्रतिशत राशि प्रेषित करनी होगी.

देय प्रीमियम के लिए मांग विकर्ष सहित घोषणा-पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि., रायपुर को भेजना होगा.

13. **बैंक सर्विस चार्जेस :—** सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी किसानों का बीमा करने के लिये कुल प्रीमियम राशि का 2.5 प्रतिशत बैंक सर्विस चार्जेस मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान किया जायेगा.

14. **दावा गणना :—** दावा की गणना आयुक्त भू-अभिलेख, रायपुर द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिये फसल कटाई प्रयोग पर आधारित उपज दर के आंकड़ों से किया जायेगा. शासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा अनावारी, सूखा, बाढ़, अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं है.

15. रायपुर, दुर्ग, कबीरधाम, राजनांदगांव, बिलासपुर एवं सरगुजा जिलों (6 जिलों) में रबी वर्ष 2011-12 के लिए पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) लागू की गई है जिसमें ऋणी कृषकों का फसल बीमा अनिवार्य किया गया है, इन जिलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ऋणी कृषकों हेतु लागू नहीं होगा. इन जिलों में अऋणी कृषक अपने फसल की बीमा हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अथवा पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना में से किसी एक को चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2011-12 मौसम में अधिसूचित तहसील एवं फसलों की सूची

क्र.	फसलों के नाम	जिलों की संख्या	अधिसूचित किये जाने वाले तहसीलों की संख्या
1.	गेहूं सिंचित	11	56
2.	गेहूं असिंचित	05	20
3.	चना	08	39
4.	अलसी	10	36
5.	राई-सरसों	12	37
6.	आलू	02	07

परिशिष्ट-1

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2011-12 हेतु फसलवार अधिसूचित की जाने वाली तहसीलों की सूची

क्र. (1)	जिला (2)	परिभाषित तहसीलें (3)
		1. फसल-गेहूं सिंचित (56)
	रायपुर	1. रायपुर
		2. बलौदाबाजार
		3. सिमगा
		4. भाटापारा
		5. आरंग
		6. पलारी
		7. तिल्दा
	धमतरी	1. कुरूद
	दुर्ग	1. दुर्ग
		2. पाटन
		3. गुंडरदेही
		4. धमधा
		5. बेमेतरा
		6. थानखमरिया
		7. बेरला
		8. साजा
		9. नवागढ़
	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
		2. डोंगरगांव
		3. खैरागढ़
		4. छुईखदान
		5. डोंगरगढ़

(1)	(2)	(3)
	कवर्धा	1. कवर्धा
		2. बोड़ला
		3. पंडरिया
		4. सहसपुर लोहारा
	बिलासपुर	1. बिल्हा
		2. मस्तूरी
		3. तखतपुर
		4. मुंगेली
		5. पथरिया
		6. लोरमी
		7. कोटा
		8. पेण्ड्रा रोड़
		9. बिलासपुर
	जांजगीर-चांपा	1. सक्ती
	सरगुजा	1. अंबिकापुर
		2. लखनपुर
		3. राजपुर
		4. लुण्ड्रा
		5. सीतापुर
		6. सूरजपुर
		7. ओड़गी
		8. भैयाथाम
		9. रामानुजनगर
		10. प्रतापपुर
		11. रामचन्द्रपुर
		12. बलरामपुर
		13. वाड्रफनगर
		14. शंकरगढ़
	कोरिया	1. बैकुंठपुर
		2. मनेन्द्रगढ़
		3. भरतपुर
	जशपुर	1. बगीचा
	रायगढ़	1. पुसौर
		2. खरसिया

2. फसल-गेहूं असिंचित (20)

	धमतरी	1. धमतरी

(1)	(2)	(3)
	दुर्ग	1. पाटन
		2. गुण्डरदेही
		3. धमधा
		4. डौंडीलोहारा
		5. बेमेतरा
		6. बेरला
		7. साजा
		8. नवागढ़
	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
		2. खैरागढ़
		3. छुईखदान
		4. डोंगरगढ़
	कबीरधाम	1. कवर्धा
		2. पंडरिया
		3. सहसपुर लोहारा
	बिलासपुर	1. मुंगेली
		2. पथरिया
		3. तखतपुर
		4. लोरमी

3. फसल-चना (39)

	रायपुर	1. रायपुर
		2. सिमगा
		3. भाटापारा
		4. आरंग
		5. अभनपुर
		6. पलारी
		7. तिल्दा
	धमतरी	1. धमतरी
		2. नगरी
		3. कुरूद
		4. मगरलोड
	दुर्ग	1. दुर्ग
		2. पाटन
		3. गुंडरदेही
		4. धमधा
		5. बालौद
		6. गुरूर
		7. डौंडीलोहारा
		8. बेमेतरा

(1)	(2)	(3)
		9. थानखमरिया
		10. बेरला
		11. साजा
		12. नवागढ़
	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
		2. छुरिया
		3. डोंगरगांव
		4. खैरागढ़
		5. छुईखदान
		6. डोंगरगढ़
	कबीरधाम	1. कवर्धा
		2. बोड़ला
		3. पंडरिया
		4. सहसपुर लोहारा
	बिलासपुर	1. तखतपुर
		2. मुंगेली
		3. पथरिया
		4. लोरमी
	जशपुर	1. पत्थलगांव
	सरगुजा	1. अंबिकापुर

4. फसल-अलसी (36)

	धमतरी	1. नगरी
		2. कुरूद
	दुर्ग	1. पाटन
		2. बालौद
		३. गुरूर
		4. डौंडीलोहारा
		5. डौंडी
		6. बेमेतरा
		7. नवागढ़
	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
		2. छुरिया
		3. डोंगरगांव
		4. खैरागढ़
		5. छुईखदान
		6. डोंगरगढ़
		7. मोहला
		8. अंबागढ़ चौकी

(1)	(2)	(3)
	कबीरधाम	1. पंडरिया
	बिलासपुर	1. कोटा
		2. मुंगेली
	जांजगीर-चांपा	1. सक्ती
		2. चांपा
		3. बलौदा
	कोरबा	1. करतला
		2. पाली
	जशपुर	1. पत्थलगांव
	सरगुजा	1. अंबिकापुर
		2. लखनपुर
		3. राजपुर
		4. लुण्ड्रा
		5. रामानुजनगर
		6. प्रतापपुर
		7. रामचन्द्रपुर
		8. बलरामपुर
		9. वाड्रफनगर
	कोरिया	1. बैकुण्ठपुर

5. फसल-राई-सरसों (37)

	धमतरी	1. धमतरी
		2. कुरूद
	दुर्ग	1. पाटन
	कबीरधाम	1. बोड़ला
		2. पण्डरिया
	बस्तर	1. बस्तानार
		2. दरभा
	कांकेर	1. अंतागढ़
	दंतेवाड़ा	1. कटेकल्याण
	बिलासपुर	1. पेण्ड्रारोड
		2. पेण्ड्रा

(1)	(2)	(3)
	कोरबा	1. पोड़ीउपरोड़ा
	सरगुजा	1. अंबिकापुर
		2. लखनपुर
		3. उदयपुर
		4. राजपुर
		5. लुण्ड्रा
		6. सीतापुर
		7. बतौली
		8. मैनपाट
		9. ओड़गी
		10. रामानुजनगर
		11. प्रेमनगर
		12. प्रतापपुर
		13. रामचन्द्रपुर
		14. बलरामपुर
		15. वाड्रफनगर
		16. कुसमी
		17. शंकरगढ़
	कोरिया	1. सोनहत
		2. बैकुंठपुर
		3. मनेन्द्रगढ़
		4. भरतपुर
		5. खड़गवां
	रायगढ़	1. लैलूंगा
	जशपुर	1. मनोरा
		2. बगीचा

6. फसल-आलू (7)

	सरगुजा	1. अंबिकापुर
		2. लखनपुर
		3. मैनपाट
		4. सूरजपुर
		5. भैयाथान
		6. प्रतापपुर
	जशपुर	1. बगीचा

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2012

क्रमांक 205/तक./परि./2012.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 96 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव (परिवहन), छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक 384, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में ,—

1. नियम 70-क के उप-नियम (1) के खण्ड (क) में, अंक "65" के स्थान पर, अंक "100" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. नियम 70-क के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) में, अंक "65" तथा "165" के स्थान पर, क्रमशः अंक "100" तथा "200" प्रतिस्थापित किया जाए.

3. नियम 70-क के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) में, अंक "165" के स्थान पर, अंक "200" प्रतिस्थापित किया जाए.

4. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (क) में, अंक "8" के स्थान पर, अंक "12" प्रतिस्थापित किया जाए.

5. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (ख) के सरल क्रमांक (2) में, अंक "40" के स्थान पर, अंक "35" प्रतिस्थापित किया जाए.

6. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (दो) के उप-खण्ड (क) में, अंक "10" के स्थान पर, अंक "15" प्रतिस्थापित किया जाए.

7. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (दो) के उप-खण्ड (ख) में, अंक "35" तथा "35" के स्थान पर, क्रमशः अंक "30" तथा "30" प्रतिस्थापित किया जाए.

8. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (दो) के उप-खण्ड (ख) के प्रथम परन्तुक में, शब्द परन्तु के पश्चात् शब्द "डीलक्स बस," अन्तःस्थापित किया जाए.

9. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (तीन) में, अंक "12" के स्थान पर, अंक "15" प्रतिस्थापित किया जाए.

10. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (चार) में, अंक "8", "10" तथा "12" के स्थान पर, क्रमशः अंक "12", "15" तथा "15" प्रतिस्थापित किया जाए.

Raipur, the 13th January 2012

No. 205/तक./परि./2012.— The following draft of amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government in exercising the power conferred by Sections 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), proposes to make, is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken in to consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours by the office of the Principal Secretary (Transport), Government of Chhattishgarh, Room No-384, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. In clause (a) of sub-rule (1) of Rule 70-A, for the figure "65" the figure "100" shall be substituted.

2. In clause (b) of sub-rule (1) of Rule 70-A, for the figures "65" and "165" the figures "100" and "200" shall be substituted respectively.

3. In clause (c) of sub-rule (1) of Rule 70-A, for the figure "165" the figure "200" shall be subsutituted.

4. In sub-clause (a) of clause (i) of sub-rule (2) of Rule 70-A, for the figure "08" the figure "12" shall be substituted.

5. In serial number (Two) of sub-clause (b) of clause (i) of sub-rule (2) of Rule 70-A, for the figure "40" the figure "35" shall be substituted.

6. In sub-clause (a) of clause (ii) of sub-rule (2) of Rule 70-A, for the figure "10" the figure "15" shall be substituted.

7. In sub clause (b) of clause (ii) of sub-rule (2) of Rule 70-A, for the figures "35" and "35", the figures "30" and "30" shall be substituted respectively.

8. In the first proviso of sub-clause (b) of clause (ii) of sub-rule (2) of Rule 70-A, after the words "in respect of" the words "Deluxe Bus," shall be inserted.

9. In clause (iii) of sub-rule (2) of Rule 70-A, for the figure "12" the figure "15" shall be substituted.

10. In clause (iv) of sub-rule (2) of Rule 70-A, for the figure "08", "10" and "12" the figures "12", "15" and "15" shall be substituted respectively.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ-1-25/2011/स्था/चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों के विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2011 कहलायेंगे ।

(2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, आयुक्त/संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, आयुक्त/संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदित चयन समिति;

(ग) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;

(ङ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/पच्चीस/4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा;

(ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार होगा:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय—समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—

(क) कोषागार लिपिक वर्गीय सेवा के अधीक्षकों/लेखा सहायकों से पदोन्नति द्वारा;

(ख) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ग) कोषागार लिपिक वर्गीय सेवा से भिन्न व्यक्तियों के चयन द्वारा जिन्होंने आयुक्त/संचालक द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(घ) कोषागार लिपिक सेवा के उन व्यक्तियों की पदोन्नति द्वारा जिन्होंने आयुक्त/संचालक द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

उपरोक्त रीति से छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा में भर्ती क्रमशः 10, 30, 30, एवं 30 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी।

(2) उप—नियम (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची—दो में दर्शाये गए प्रतिशत् से किसी भी समय अधिक नही होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग से परामर्श करने के पश्चात् सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे।

(6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी (यथासंशोधित) निर्देश भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती से चयन हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(एक) आयु:– (क) विज्ञापन जारी होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ शासन का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिये। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना मे कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:–शब्द "भूतपूर्व सैनिक" शब्द से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग में का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश

के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन्स) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है;

(चार) अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यकम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(छ) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिको तथा नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गयी सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष तक शिथिलनीय होगी । किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये ।

टीपः–(1) उपरोक्त खण्ड (घ) (एक) तथा (दो) मे उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन के लिए योग्य माना गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नही की जायेगी. विभागीय अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(ट) किसी भी अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर आयु में छूट दिये जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी ।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे ।

(दो) शैक्षणिक अहर्तायें तथा अनुभव.– अभ्यर्थी के पास ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव होना चाहिये जो कि अनुसूची–तीन के कॉलम (6) मे विहित की गई हों।

(तीन) फीस.– अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**– (एक) चयन किए जाने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार के लिये अनुज्ञात नही किया जायेगा।

(दो) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन प्रक्रिया के किसी प्रक्रम में अथवा आयोग द्वारा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है या उसके द्वारा प्रस्तुत

अभिलेखों में कोई विसंगति पाई गई है, तो अभ्यर्थी को अयोग्य माना जायेगा। एवं उसका चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

11. **(एक) चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.**–(1) सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जायेगी।

(2) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि शासन आयोग के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करे।

(3) प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे पाठ्यक्रम (सिलेबॅस), परीक्षा योजना एवं निर्देशों के अनुसार आयोग द्वारा संचालित की जायेगी, जैसा कि शासन समय–समय पर आयोग के परामर्श से जारी करे।

(4) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति में किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जायेंगे तथा अन्य प्रावधान भी लागू होंगे।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30% पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे एवं अन्य प्रावधान भी लागू होंगे। उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (हॉरीजॉन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाईज) होगा।

(7) उपरोक्त के अतिरिक्त, विकलांग/भूतपूर्व सैनिक के लिये पद, शासन द्वारा समय–समय पर जारी अधिनियम/नियम/आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखे जायेंगे।

(8) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो महिला/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जो आरक्षण के परिणामस्वरूप चयनित किये गये हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(10) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों को जिन्हें उसकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (5) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े

वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(दो) चयन/कोषालयीन कर्मचारी द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भर्ती.–

(1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालो से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करे।

(2) आयुक्त/संचालक कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा समय समय पर आयोजित छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा विभागीय परीक्षा भाग–एक एवं दो उत्तीर्ण होने पर चयन किया जायेगा।

(3) चयन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा विभागीय परीक्षा से किया जायेगा।

(4) नियम 6 (1) के उप नियम (ग), एवं (घ) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों को आयुक्त/संचालक द्वारा जारी नियुक्ति आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर सेवा में कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा उनके नाम चयन सूची से विलोपित कर दिए जायेंगे।

12. आयोग/चयन समिति द्वारा चयनित किये गये अभ्यर्थियों की सूची.– (1) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नही है किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो एवं ऐसे अभ्यर्थी जो महिला/ विकलांग/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अंतर्गत आरक्षण के फलरूवरूप चयनित किए जाएं, उनके (ऐसे अभ्यर्थियों के) मेरिट क्रम में चयन सूची तैयार करेगा, जिसकी वैधता अवधि, नियुक्ति के लिए शासन को भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी ।

(3) आयोग, उप–नियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।

(4) इन नियमों तथा छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्ययीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) चयन सूची मे अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के

पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **परिवीक्षा.–** (1) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) शासन यदि उचित समझे, तो परिवीक्षा की कालावधि, एक वर्ष तक के लिए बढ़ा सकेगा।

(3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा कालावधि के अंत में, यदि शासन की राय हो कि परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य नही है, तो शासन ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवोन्मुक्त कर सकेगा।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य समाविष्ट होंगे:

परंतु इस उप–नियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधो का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालो में होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।

(3) सभी पदोन्नतियां, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधो के अनुसार की जायेगी।

(4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) में उल्लिखित नियम एवं शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रहेगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले प्रत्येक पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए निर्देशों और राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.– (1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार उन पदों पर जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित अन्य किसी पद या पदों पर, (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा

जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीतिः– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति, शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार दी जायेगी।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रहेगा।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाना.**– (1) समिति, ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। सूची में उतने नाम सम्मिलित किये जायेंगे जितने कि उस वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण रिक्तियॉं संभावित हों। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें प्रवर्गवार न्यूनतम एक एवं रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करने के लिये मापदंड ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविर्निदिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के कम से रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसा व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नही किया गया हो केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नही होगा।

17. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) पदोन्नति के लिये चयन सूची, इसके तैयार किये जाने की तारीख से उस कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगीः

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्ति की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नही होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

19. **परिवीक्षा/परीक्षण.**– सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यकम में उपस्थित रहे और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करे, जैसा कि सरकार द्वारा विहित किया जाये–

(1) कोई व्यक्ति जो पहले से ही शासकीय सेवा में स्थायी हो, नियम 6 के उप–नियम (1) के अधीन सीधी भर्ती, पदोन्नति या चयन द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा में नियुक्त किया जाता है तो सेवा में या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिये सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करे और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करे जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाये:

परन्तु यह और कि संचालक यह घोषित कर सकेगा कि छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा में, पूर्व की स्थानापन्नता की कालावधि उस सीमा तक जो कि किसी विशिष्ट मामले में विनिर्दिष्ट की जाये, परीक्षण की कालावधि में गिनी जा सकेगी:

परन्तु यह और भी कि यदि शासकीय कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर नियुक्तियां विनियमित करने वाले भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती से भी की जाती है, तो स्थानापन्नता की कालावधि उस परिवीक्षा की कालावधि के बराबर होगी जो कि नियमों के अधीन उस पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति के लिये विहित है।

(2) संचालक, स्थानापन्नता की कालावधि को पर्याप्त कारणों से और एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये बढ़ा सकेगा।

(3) यदि स्थानापन्नता की कालावधि या बढ़ाई गई स्थानापन्नता की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर शासकीय सेवक उस सेवा या पद के लिये जिस पर कि उसे नियुक्त किया गया है, विहित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहता है अथवा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है और अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसे उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(4) यदि परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर, स्थानापन्न शासकीय सेवक को उस सेवा या पद के लिये, जिस पर वह नियुक्त किया गया है, उपयुक्त समझा जाये तो स्थायी पद उपलब्ध होने पर उसे सेवा में, जिसमें उसे नियुक्त किया गया है, स्थायी कर दिया जायेगा अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र उसके पक्ष में जारी किया जाएगा कि स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही, स्थायी पद उपलब्ध होता है उसे स्थायी कर दिया जायेगा ।

(5) ऐसा स्थानापन्न शासकीय सेवक, जिसे उप–नियम (4) के अधीन न तो स्थायी किया गया है, न उसके पक्ष में प्रमाण–पत्र जारी किया गया है और न ही उसे उप–नियम (3) के अधीन उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है, उप–नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आगामी आदेश पर्यन्त स्थानापन्न हैसियत में सेवा में बना रहा समझा जाएगा और ऐसी कालावधि के दौरान वह किसी भी समय अपनी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

परीक्षण.– सेवा में पदोन्नति से पदस्थ किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा।

20. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे उचित और समीचीन प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नही निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उपबंधित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा का नाम/पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा	280	तृतीय श्रेणी	9300—34800 ग्रेड वेतन 4300
1.	सहायक कोषालय अधिकारी			
2.	उप कोषालय अधिकारी			
3.	सहायक लेखाधिकारी			
4.	कनिष्ठ लेखाधिकारी			
5.	व्याख्याता लेखा प्रशिक्षण शाला			
6.	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी			

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिये)

स.क.	सेवा का नाम	भर्ती का तरीका	भरे जाने वाले पदो का प्रतिशत	नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा/पदनाम	1. कोषालय लिपिक वर्गीय सेवा के अधीक्षकों/लेखा सहायकों में से पदोन्नति द्वारा	10 प्रतिशत	आयुक्त/संचालक कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़
	1. सहायक कोषालय अधिकारी	2. प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा	30 प्रतिशत	
	2. उप कोषालय अधिकारी 3. सहायक लेखा अधिकारी 4. कनष्ठि लेखा अधिकारी	3. कोषालय लिपिक वर्गीय सेवा से भिन्न व्यक्तियों के चयन द्वारा जिन्होंने आयुक्त/संचालक कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग—एक एवं दो उत्तीर्ण की हो।	30 प्रतिशत	
	5. व्याख्याता लेखा प्रशिक्षण शाला 6. सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	4. कोषालय लिपिक सेवा के उन व्यक्तियों की पदोन्नति द्वारा जिन्होंने आयुक्त/संचालक द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग—एक एवं भाग—दो उत्तीर्ण की हो।	30 प्रतिशत	

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा	1. सहायक कोषालय अधिकारी 2. उप कोषालय अधिकारी 3. सहायक लेखा अधिकारी 4. कनिष्ठ लेखा अधिकारी 5. व्याख्याता लेखा प्रशिक्षण शाला 6. सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि।

टीपः–छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशो के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची–चार

(नियम 14 देखिये)

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	सेवा की अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वित्त विभाग	अधीक्षक / लेखा सहायक	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के पदों में	अधीक्षकों / लेखा सहायकों के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	1. आयुक्त / संचालक / अपर संचालक **–अध्यक्ष** 2. आयुक्त / संचालक द्वारा नाम निर्देशित दो संयुक्त संचालक **–सदस्य** 3. यदि समिति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आयुक्त / संचालक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से किसी वरिष्ठ अधिकारी को नाम निर्देशित करेगा **–सदस्य**

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 15 जुलाई 2011

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	वाड्रफनगर	महेवा	0.48	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सं. क्र.-2, रामानुजगंज.	वाड्रफनगर, जनकपुर, बलंगी राज्य मार्ग क्र.-3 के कि.मी. 13/10 पुलिया का पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

सरगुजा, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	वाड्रफनगर	धनवार	7.72	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग क्रमांक-2, रामानुजगंज.	टोल टेक्स बेरियर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 16 जनवरी 2012

क्रमांक/348/भू-अर्जन/कले./2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	माकड़ी खूना	0.08	नोडल अधिकारी, छ.ग. भण्डार, गृह निगम उत्तर बस्तर, कांकेर.	गोदाम निर्माण हेतु

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 19 जनवरी 2012

क्रमांक/890/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	पठानढोड़गी प.ह.नं. 55	0.081	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कोलियारी जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 जनवरी 2012

क्रमांक/891/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	लक्ष्मणभरदा प. ह. नं. 27	0.142	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	झुरानाला एनीकट निमाण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 जनवरी 2012

क्रमांक/892/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	घोंठिया प. ह. नं. 53	0.057	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	घोंठिया जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु (पूरक प्रकरण).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 जनवरी 2012

क्रमांक/893/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	घोठिया प. ह. नं. 20	3.691	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	घोठिया जलाशय के डुबान हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 जनवरी 2012

क्रमांक/894/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	कल्लूटोला प. ह. नं. 40/2	0.238	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	खातूटोला बैराज के नहर नाली निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 जनवरी 2012

क्रमांक/895/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	आंतरगांव प. ह. नं. 59	0.072	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 जनवरी 2012

क्रमांक/896/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	जोशीलमती प. ह. नं. 55/22	0.324	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्रमांक/990/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	साल्हे प. ह. नं. 20	3.164	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के साल्हे माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्रमांक/991/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	घुघवा प. ह. नं. 20	1.859	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के साल्हे माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्रमांक/992/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	घुघवा प. ह. नं. 20	3.787	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बगदई डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्रमांक/993/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	आरी प. ह. नं. 20	0.881	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बगदई डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्रमांक/994/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गिरगांव प. ह. नं. 08	1.278	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बगदई डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्रमांक/995/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	बीजाभांठा प. ह. नं. 21	0.316	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बगदई डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्रमांक/996/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	बरगांव प. ह. नं. 13	4.383	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बरगांव माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्रमांक/997/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	खैरी प. ह. नं. 07	2.345	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के खैरी माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 9 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	अमलीटिकरा प. ह. नं. 02	1.578	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़ (छ.ग.)	अम्बेटिकरा एनीकट योजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

रायगढ़, दिनांक 29 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	करनपाली प. ह. नं. 47	2.018	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	करनपाली व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	छोटे आमाकोनी प. ह. नं. 38	0.183	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	झोरझोरा जलाशय के नहर निर्माण का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	बड़े आमाकोनी प. ह. नं. 38	0.32	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	झोरझोरा जलाशय के नहर निर्माण का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन-				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	रियापाली प. ह. नं. 33	1.901	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	महलोई प. ह. नं. 34	10.418	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	झिलगीटार प. ह. नं. 34	19.068	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-ससकोबा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
382/54	0.030
440/1	0.160
437/3, 441/3	0.040
योग	0.230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-"तिलडेगा-ससकोबा मार्ग के कि.मी. 7/4 भरारीनाला पर सेतु निर्माण हेतु पहुंच मार्ग का भू-अर्जन."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्रमांक/236/भू-अर्जन/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-बिलाईगढ़
(ग) नगर/ग्राम-सलिहा, प.ह.नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.724 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	16	0.007
	17/2	0.001
	18	0.030
	19/1	0.010
	19/2	0.010
	19/3	0.010
	20	0.085
	21/1	0.046
	21/2	0.047
	22	0.093
	23/1	0.028
	23/2	0.032
	25	0.057
	26	0.259
	29	0.009
योग	15	0.724

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महानदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./13/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-तिल्दा
(ग) नगर/ग्राम-मोहंदी, प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.54 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
381, 382	0.30
590	0.44
549, 692	0.35
377, 378	0.19
380	0.18
367	0.06
379	0.03
641/2	0.10
383/1	0.01
383/2	0.01
582, 583	0.08
589	0.02
642/2	0.20
384	0.60
386	0.27
588	0.14
628, 629	0.16
625	0.18
630, 632	0.08
631	0.32
643	0.20
586	0.06
604, 605	0.43
587	0.11

(1)	(2)
623	0.02
योग	4.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-कोटा नाला व्यपवर्तन के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./14/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-खपरीखुर्द, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.89 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
202	0.02
1036/1	0.13
273	0.02
457/1	0.03
578	0.03
204	0.06
433/2	0.03
205	0.18
1104	0.01
455	0.07
561, 562	0.18
729/2	0.13
207/3	0.02
234	0.03
222	0.10
1036/2	0.13
557	0.18
728/2	0.05
229/1	0.05
206	0.04
430	0.09
218/1	0.12
1024	0.10
470	0.03
233	0.10
1038	0.10
1124/5	0.05
1099	0.02
1103/1	0.15
429/1	0.08
225	0.10
228/1	0.05
733/1	0.03
274	0.04
480/1	0.25
743	0.05
559	0.07
577	0.17
527	0.03
1124/3	0.20
217	0.03
1032	0.13
433/1	0.07
581	0.14
1123	0.02
1025B	0.03
1100	0.10
729/1	0.16
460	0.01
226	0.02
221	0.09
1022	0.05
556	0.18
439	0.02
237/1	0.05
730	0.01
461	0.04
480/4	0.03
456/1-2	0.05

(1)	(2)
476	0.01
740/1-2	0.05
453/1	0.02
457/3	0.01
453/2	0.03
431/1	0.05
431/2	0.07
1029	0.11
1102	0.02
442	0.04
443	0.04
1021	0.06
1026	0.09
1101	0.12
734	0.18
1030	0.10
224	0.01
454	0.09
735	0.10
230	0.04
1037	0.15
227	0.05
441	0.14
451	0.04
1023B	0.10
736	0.16
737	0.06
1122	0.03
223	0.05
462/1	0.02
576	0.03
733/5	0.09
738	0.04
739	0.03
741/2	0.05
743, 1184	0.06
योग	6.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-कोटा नाला व्यपवर्तन के दायीं तट नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./24/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-कोटा, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.057 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
25/1, 86/1	0.020
95	0.146
25/2	0.223
33/7	0.263
36	0.146
37/1	0.004
37/3	0.016
37/2	0.146
40/1	0.020
77/2	0.105
50/1	0.385
343/2	0.012
49/1	0.041
78/1, 79/1, 756/1	0.004
87/1-5	0.227
88	0.008
90	0.146
92	0.142
93	0.036
347/1, 348/1	0.065

(1)	(2)
362	0.097
424	0.049
425	0.048
426	0.008
430	0.089
360	0.036
455/1	0.008
431/2	0.093
431/3	0.065
431/4	0.089
423/2, 431/1	0.008
346/1	0.405
346/2	0.020
361	0.045
363/1	0.057
365/1	0.024
365/2	0.016
366/1	0.036
366/2	0.040
365/3	0.012
367/1	0.171
455/3	0.243
455/4	0.243
योग	4.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-कोटा नाला व्यपवर्तन के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 15 जुलाई 2011

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-महेवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.48 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	949	0.18
	633	0.22
	635	0.07
	636	0.01
योग	4	0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पी.डब्ल्यू.डी. रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

सरगुजा, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-धनवार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.72 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
38	0.60
69	0.38
40	0.56
44/1	0.50
45	0.36
46	0.33
41	0.04
42	0.19
43	0.10
44/2	0.02
47	0.36
48	0.51
49	0.39
50	1.21
52	0.04
82	0.35
51	0.94
78	0.36
80	0.21
81	0.27
योग 20	7.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पी.डब्ल्यू.डी. रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक/253/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित कियां जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-पत्थरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18	0.30
15	0.02
26/1	0.13
26/2	0.23
26/3	0.22

	(1)	(2)
	39	0.04
योग	6	0.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-जंगलवार कालेज हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक/256/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-कांकेर
(ग) नगर/ग्राम-गढ़पिछवाड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.62 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	589/1	0.30
	592	1.82
	587	0.35
	568	0.20
	595	0.30
	597	0.26
	598/2	0.40
	598/3	0.80
	599	0.14
	590	1.71
	600/1	0.21
	600/2	0.20
	601	0.62
	602	0.95
	220	1.56
	222	0.30
	223	2.16
	224	0.48
	225/1	0.60
	225/2	0.85
	252/1	0.15
	601	0.87
	605/1	1.45
	605/2	1.44
	296	0.45
	218	1.48
	226	0.22
	227	0.06
	220	1.17
	228	0.12
योग	30	21.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-जंगलवार कालेज हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक/259/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-नरहरपुर
(ग) नगर/ग्राम-डोमपदर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.48 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
677	0.11
678	0.24
679	0.01
680	0.12
योग 4	0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-लिटिपारा व्यपवर्तन योजना के आर.बी.सी.बंडपार एवं वियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक/262/भू-अर्जन/कले./2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-अलबेलापारा कांकेर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-42.41 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
266, 268	6.78
267, 268	3.15
269/1	0.08
269/2	2.70
270/1क	2.05
270/2ख	0.25
270/2ग	0.25
271/1	1.13
271/2	2.15
272/2	0.13
273/2	0.32
273/3	0.32
273/4	1.90
291/1	0.21
291/2	0.20
292	0.57
293/1	1.01
293/2	0.60
294, 194/494/1	2.00
294, 194/494/2	2.00
294, 194/494/3	3.13
295/1	1.42
295/2	6.26
300/1	1.00
300/2	0.35
300/4	0.35
300/3	0.35
300/5	1.75
योग 28	42.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-विकास नगर योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्रमांक/970/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-लाल बहादुर नगर, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.023 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	668/1	0.457
	647/1	0.202
	647/3	0.364
योग	3	1.023

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के अन्तर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्रमांक/971/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-तिलईरवार, प. ह. नं. 10/9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-57.00 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
258/2	0.23
258/3	0.63
258/4	0.63
626	1.70
649/1	0.59
265	1.80
649/4	0.83
260	0.96
263/1	0.50
261/1	0.22
264	0.61
266	0.70
267/1	0.21
267/2	0.24
268	0.94
271/1	0.20
262	0.51
269	0.28
271/2	0.20
272	0.37
624	0.80
648	4.00
649/2	0.40
649/3	2.40
647	2.25
651	1.00
629/1-3	1.85
643/1	0.37
629/2	0.95
629/4	1.00
629/5	1.56
629/6	0.28
629/7	0.86
643/2	0.57
629/8	0.41
629/9	1.46
629/10	1.02
643/3	0.58
629/11	0.35
630/1	0.24
630/2	0.24
630/3	0.24
630/5	0.60
630/4	0.48
630/6	0.88
629/12	0.54
629/13	0.20

	(1)	(2)
	629/4	0.40
	629/15	0.40
	631	2.68
	632/1	1.63
	632/2	1.05
	633	0.81
	634	0.78
	636/1	1.07
	636/2	0.21
	637	0.54
	638	0.58
	639	0.74
	640	1.65
	641	2.06
	642	2.06
	670	0.28
	671	0.09
	635	1.87
	261/2	0.22
योग	66	57.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तिलईरवार जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 5 जनवरी 2012

रा.प्र.क्र. 04 /82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-घुघरीकला, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.381 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	35	0.128
	33/5	0.025
	33/3	0.096
	33/2	0.028
	33/1	0.104
योग	5	0.381

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कवर्धा से कोठार मार्ग सकरी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2011

क्रमांक 05/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पथरिया

(ग) नगर/ग्राम-कुकुसदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	902	0.05
योग	1	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुकसदा-परसिया मार्ग के कि.मी. 2/6 पर आगर नदी पर पुल निर्माण के सेतु मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-पासीद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.68 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1099/2	0.30
	1099/3	0.05
	1102/2	0.33
योग	3	0.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विद्या एनीकट पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2012

क्रमांक 29/चार/निरर्हित/2008-11/35.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली का आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./2009 (उप), दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 66-वैशाली नगर विधान सभा उप निर्वाचन-2009 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थियों को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित सूची सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर, 2011—16 अग्रहायण, 1933 (शक)

आदेश

संख्या/छ.ग.-वि.स./2009(उप).—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा उप निर्वाचन, 2009 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने/अथवा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यत: उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं हैं;

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है.

सारणी

क्रम संख्या (1)	निर्वाचन का विवरण (2)	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम (3)	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता (4)	निरर्हता का कारण (5)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन 2009	66-वैशाली नगर	अशोक मिरी, शारदा पारा केम्प-2, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
2.	—वही—	—वही—	बाकर अली, बाबा आटा चक्की के सामने वार्ड क्र. 41, केलाबाड़ी, दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
3.	—वही—	—वही—	अनीता वर्मा, मकान नं. 1138, मड़ौदा टेंक दुर्गा चौक, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़.	—वही—
4.	—वही—	—वही—	गणेश मनहर, सुपेला पांच रास्ता भिलाई, मकान नं. 211, वार्ड क्र. 6, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
5.	—वही—	—वही—	दुर्गा पटेल, दुग्गल कम्पाउण्ड, शास्त्री नगर, मौर्या टाकीज के सामने केम्प 1, पोस्ट सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़.	—वही—

आदेश से,

हस्ता./-

(के. अजय कुमार)

प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 7th December, 2011—16 Agrahayana, 1933 (Saka)

ORDER

No. 76/CGH-LA/2009(Bye).—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candicates specified in column (4) of the Table below at the Bye Election to the Legislative Assembly, 2009 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No. (1)	Particulars of election (2)	Number & Name of the Constituency (3)	Name & Address of the candidate (4)	Reason of disqualification (5)
1.	Bye Election to the Legislative Assembly 2009 from the State of Chhattisgarh	66-Vaishali Nagar	Ashok Miri, Sharda Para, Camp-2, Bhilai, Distt-Durg, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses
2.	—do—	—do—	Bakar Ali, In front of Baba Aata Chakki, Ward No. 41, Kelabadi, Durg, Chhattisgarh.	—do—
3.	—do—	—do—	Anita Varma, House No. 1138, Maroda Tank, Durga Chouk, Bhilai Nagar, Chhattisgarh.	—do—
4.	—do—	—do—	Ganesh Manhar, Supela, Panch Rasata Bhilai, House No. 211, Ward No. 6, District Durg, Chhattisgarh.	—do—
5.	—do—	—do—	Durga Patel, Duggal Compound Shashtri Nagar, in front of Maurya Talkies, Camp 1, Post Supela, Bhilai, Chhattisgarh.	—do—

By Order,

Sd/-
(K. AJAY KUMAR)
Principal Secretary,
Election Commission of India.

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत शाखा), जिला-सरगुजा (छ.ग.)

अंबिकापुर, दिनांक 16 जनवरी 2012

क्रमांक 3358/पंचा./2012.—छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-1/42/18/2009 रायपुर, दिनांक 07-06-2011 के द्वारा "ग्राम/ग्राम पंचायत" को नगर निगम अंबिकापुर में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 की उपधारा (2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, आर. प्रसन्ना, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छ.ग. निम्न अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित ग्राम/ग्राम पंचायत को विस्थापित करता हूं.

अनुसूची

जिला सरगुजा की नगर निगम अंबिकापुर की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्रामों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम (2)	जनसंख्या (3)	सीमा (4)
1.	नवागढ़	3084	सम्पूर्ण राजस्व ग्राम नवागढ़ क्षेत्र
2.	गंगापुर	1159	सम्पूर्ण राजस्व ग्राम गंगापुर क्षेत्र
3.	बिशुनपुर	712	सम्पूर्ण राजस्व ग्राम बिशुनपुर क्षेत्र
4.	भगवानपुर	2500	सम्पूर्ण राजस्व ग्राम भगवानपुर क्षेत्र

No. 3358/Panchayat/2012.—In Reference of Gazette Notification of Government of Chhattisgarh, Urban Administration & development Deptt. Letter No. F-1/42/18/2009 Raipur, dated 07-06-2011 the Government decided to include following village/gram panchayats with the Boundries of Municipal Corporation Ambikapur District Surguja as given in below schedule. So for I, R. Prasanna, Collector, Distt. Surguja disestablished the "Gram/Gram Panchayats" in exercise of the power as per Panchayat Raj Adhiniyam 1993 section 126.

SCHEDULE

S. No. (1)	Gram/Gram Panchayat (2)	Population (3)	Boundry (4)
1.	Nawagarh	3084	Whole Revenue Village Area of Nawagarh
2.	Gangapur	1159	Whole Revenue Village Area of Gangapur
3.	Bisunpur	712	Whole Revenue Village Area of Bisunpur
4.	Bhagwanpur	2500	Whole Revenue Village Area of Bhagwanpur

आर. प्रसन्ना,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रायगढ़, दिनांक 03 जनवरी 2012

क्रमांक/053/व.लि./2011.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 की कण्डिका 5 एवं म. प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक एफ-3/2/1999/1/4, दिनांक 30-03-1999 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलेण्डर वर्ष 2012 के लिये रायगढ़ जिले में निम्नानुसार सम्पूर्ण दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है :—

क्रमांक (1)	तिथि (2)	दिन (3)	पर्व/त्यौहार का नाम (4)
1.	09-01-2012	सोमवार	छेरछेरा
2.	21-06-2012	गुरुवार	रथ यात्रा
3.	14-11-2012	बुधवार	दीपावली का दूसरा दिन

उक्त अवकाश कोषालय/उप कोषालय/बैंकों के लिये लागू नहीं होगा.

अमित कटारिया,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 4 जनवरी 2012

क्रमांक 05/स्थापना/रा.मं./2012.—पूर्व में इस कार्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 227/स्थापना/रा.मं./2011, रायपुर दिनांक 23-06-2011 में प्रशासकीय कारणों से अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग. के मध्य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई एवं निर्वतन हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :—

राजस्व मण्डल की दो सदस्यीय पूर्ण पीठ होगी, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी :—

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल एवं
2. सदस्य, राजस्व मण्डल

(ब) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के क्षेत्राधिकार के प्रकरण एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रकरण—

क्रमांक (1)	अध्यक्ष/सदस्य (2)	क्षेत्राधिकार (3)
1.	श्री अजय पाल सिंह, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	राजस्व जिला बिलासपुर, मुंगेली, सरगुजा (अंबिकापुर), बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, धमतरी, कवर्धा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा एवं कांकेर.
2.	डॉ. दुर्गेश चन्द्र मिश्रा सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	राजस्व जिला बलौदाबाजार, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, राजनांदगांव, बस्तर (जगदलपुर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव, सुकमा, जशपुर, कोरिया एवं महासमुंद.

(स) **स्थगन आवेदन पत्र—**

अध्यक्ष एवं सदस्य की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के स्थगन आवेदन पत्रों की सुनवाई की व्यवस्था निम्नानुसार की जावेगी—

क्रमांक (1)	अनुपस्थित न्यायालयीन अध्यक्ष/सदस्य (2)	सुनवाई हेतु न्यायालय (3)
1.	श्री अजय पाल सिंह अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	डॉ. दुर्गेश चन्द्र मिश्रा सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.
2.	डॉ. दुर्गेश चन्द्र मिश्रा सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	श्री अजय पाल सिंह अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.

(द) विशेष परिस्थिति में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्णय लिया जायेगा.

(इ) प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत दिवस निम्नानुसार है—

क्रमांक (1)	अध्यक्ष/सदस्य (2)		क्षेत्राधिकार (3)
1.	श्री अजय पाल सिंह अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	1.	सर्किट कोर्ट, रायपुर सामान्यतः सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार
		2.	राजस्व मण्डल, मुख्यालय, बिलासपुर सामान्यतः गुरुवार एवं शुक्रवार
2.	डॉ. दुर्गेश चन्द्र मिश्रा सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	1.	सर्किट कोर्ट, रायपुर सामान्यतः गुरुवार एवं शुक्रवार
		2.	राजस्व मण्डल, मुख्यालय, बिलासपुर सामान्यतः माह के (अंतिम सप्ताह को छोड़कर) प्रत्येक सप्ताह के सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार
		3.	राजस्व मण्डल, सर्किट कोर्ट, सर्किट कोर्ट, जगदलपुर प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार.

(ई) प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत समय—

1. न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई कार्य दिवसों में सामान्यतः प्रातः 11.00 बजे से प्रारंभ होकर अपरान्ह 2.00 बजे तक.

2. सामान्यतः शनिवार को प्रकरणों की सुनवाई नहीं होगी.

(उ) प्रकरणों के पंजीकरण की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी.

यह आदेश नवगठित 9 जिलों के अस्तित्व में आने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

अजय पाल सिंह,
अध्यक्ष.

छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर
(सर्किट कोर्ट-रायपुर)

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2012

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक 26/स्थापना/रा.मं./2012.—इस कार्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 05/स्थापना/रा.मं./2012, बिलासपुर दिनांक 04-01-2012 की कंडिका (ब) को छ.ग. भू-राजस्व संहिता की धारा-7 एवं धारा-9 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के क्षेत्राधिकार के प्रकरण एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रकरण पढ़ा जाये.

अधिसूचना क्रमांक 05/स्थापना/रा.मं./2012, बिलासपुर दिनांक 04-01-2012 की शेष कण्डिकायें यथावत् प्रभावी रहेगी.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

अजय पाल सिंह,
अध्यक्ष.

कार्यालय, रजिस्ट्रार, छ.ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्रमांक/282/निर्वाचन परिषद्/27/2011-12.—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् एक्ट 1984 के नियम 36 एवं छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 2005 भाग-तीन (2) (ग) अनुसार 7 जनवरी 2012 के अधिवेशन में छ.ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के सभापति पद हेतु डॉ. रविन्द्र जायसवाल, महाप्रबंधक, इण्डियन ब्रायलर ग्रुप निर्विरोध निर्वाचित हुए.

श्रीमती लक्ष्मी अजगल्ले,
रजिस्ट्रार.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2011-12/5929.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7574-7575 रायपुर, दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री इरशाद अहमद, तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया को कृषि उपज मण्डी समिति, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

उपसचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-2-48/सात-2/2011, दिनांक 27 जुलाई 2011 द्वारा श्री इरशाद अहमद, तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया का स्थानांतरण कुसमी जिला-सरगुजा में होने के कारण कलेक्टर जिला-कोरिया द्वारा श्री जे. पी. तिवारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, मनेन्द्रगढ़ को कृषि उपज मण्डी समिति, मनेन्द्रगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री इरशाद अहमद, तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया के स्थान पर श्री जे. पी. तिवारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2011-12/5931.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7574-7575 रायपुर, दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री ए. पी. पटेल, उपसंचालक, कृषि जिला-कोरिया को कृषि उपज मण्डी समिति, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

उपसचिव, छ.ग. शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-15/2011/14-1, दिनांक 11-08-2011 द्वारा श्री ए. पी. पटेल, उपसंचालक, कृषि जिला-कोरिया का स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति पर मण्डी बोर्ड रायपुर में होने एवं उनके स्थान पर श्री आर. के. राठौर, उपसंचालक कृषि, जिला-कबीरधाम को उपसंचालक, कृषि, जिला-कोरिया के पद पर पदस्थ किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री ए. पी. पटेल, उपसंचालक, कृषि, जिला-कोरिया के स्थान पर श्री आर. के. राठौर, उपसंचालक कृषि, जिला-कोरिया को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2011-12/6100.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7717-7718 रायपुर, दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री बी. आर. लदेर, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, जैजेपुर, जिला-जांजगीर-चांपा को कृषि उपज मण्डी समिति जैजेपुर, जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

उपसंचालक, कृषि जिला-जांजगीर-चांपा के आदेश क्रमांक/अ-1/स्था./2011-12/1181, दिनांक 26-07-2011 द्वारा श्री बी. आर. लदेर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड जैजेपुर को निलम्बित कर दिये जाने के कारण कलेक्टर, जैजेपुर, जिला-जांजगीर-चांपा द्वारा श्री वहीदुर्रहमान शाह, तहसीलदार, जैजैपुर को कृषि उपज मण्डी समिति, जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा के भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री बी. आर. लदेर, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा के स्थान पर श्री वहीदुर्रहमान शाह, तहसीलदार, जैजैपुर को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

सुरेन्द्र कुमार जायसवाल,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्रमांक 124/दो-2-20/2006.—श्री आनन्द कुमार बेक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-11-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

क्रमांक 123/दो-2-4/2005.—श्री सी. बी. बाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-10-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

क्रमांक 125/दो-2-21/2002.—श्री महादेव कातुलकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 15-09-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 1st December 2011

No. 862/Confdl./2011/II-2-4/2002.—The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2), in whose favour a certificate of confirmation was issued vide Registry Order No. 515/Confdl./2011/II-2-4/2002 dated 02-09-2011 are, hereby, allotted the date of confirmation in Higher Judicial Service as mentioned in column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Shri Ashok Kumar Sahu	10-05-2011
2.	Shri Jaideep Vijay Nimonkar	10-05-2011
3.	Shri Noordeen Tigala	01-06-2011

बिलासपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्रमांक 126/दो-2-2/2009.—श्री प्रदीप कुमार दवे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 05-11-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 12th December 2011

No. 872/Confdl./2011/II-1-1/2009.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/2/2011-US.II dated 8th December 2011 of Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, (i) Hon'ble Shri Justice Prashant Kumar Mishra and (ii) Hon'ble Shri Justice Manindra Mohan Shrivastava have assumed charge of the office of Additional Judge of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur in the afternoon of December 09, 2011.

Bilaspur, the 20th December 2011

No. 882/Confdl./2011/II-3-1/2011.—The following Civil Judges Class-I & Additional Chief Judicial Magistrates/Judicial Magistrates First Class, as specified in Column No. (2), are appointed as Officiating Chief Judicial Magistrate of the Revenue District mentioned in Column No. (3) of the table below from the date the Revenue District comes into existence, untill further orders :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	Revenue District (3)
1.	Shri Shailesh Kumar Ketarap, II Civil Judge Class-I & A.C.J.M., Kondagaon	Kondagaon
2.	Shri Daya Sindhu Ganveer, Civil Judge Class-I, Mungeli	Mungeli
3.	Shri Praveen Kumar Pradhan, Civil Judge Class-I & A.C.J.M., Bemetara	Bemetara
4.	Shri Thomas Ekka, Civil Judge Class-I, Sanjari-Balod	Sanjari-Balod
5.	Shri Liladhar Sarthi, Civil Judge Class-I, Baloda-Bazar	Baloda-Bazar
6.	Shri Dileshwar Singh Rathiya, Civil Judge Class-I, Gariaband	Gariaband
7.	Shri Khilawan Ram Rigri, Civil Judge Class-I & A.C.J.M., Surajpur	Surajpur
8.	Shri Santosh Kumar Aditya, Civil Judge Class-I, Ramanujganj	Balrampur
9.	Shri Yashwant Wasnikar, Civil Judge Class-I, Sukma	Sukma

Bilaspur, the 22nd December 2011

No. 889/Confdl./2011/II-3-1/2011.—In the Registry Order No. 882/Confdl./2011/II-3-1/2011 dated 20th December 2011, at Sl. No. 1 Column No. (2) of the table and in the endorsement No. 883/Confdl./2011/II-3-1/2011, at Sl. No. 17(a), the designation of "Shri Shailesh Kumar Ketarap" be read as "Civil Judge Class-I, Kondagaon" Instead of "II Civil Judge Class-I & A.C.J.M., Kondagaon".

By order of the Hon'ble High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 2nd December 2011

No. 415/L.G./2011/II-2-20/2007.—Smt. Kanta Martin, II Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 06 days from 28-12-2011 to 02-01-2012.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Martin, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 265 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd December 2011

No. 416/L.G./2011/II-3-10/2007.—Shri Sharad Gupta, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 05 days from 05-12-2011 to 09-12-2011 and permission to suffix holidays of 10th and 11th December, 2011 (Saturday and Sunday) along with permission to remain out of headquarters from 05-12-2011 till 10.30 a.m. of 12-12-2011.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Gupta, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 271 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्रमांक 122/दो-2-13/2007.—श्री नूरदीन तिगाला, एडीशनल रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-11-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.